मान्नीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा (बिन्दु संख्या 113) : राजस्थान के पंजीकृत मदरसों में से आदर्श (मॉडल) मदरसा योजना" हेतु दिशा–निर्देश।

1. **प्रस्तावनाः–**

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 113 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा आदर्श मदरसा योजना की घोषणा की गई यथा–

"मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मैं, आदर्श मदरसा योजना की घोषणा करती हूँ। इसके तहत पंजीकृत 'ए' श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर राशि रूपये 25 करोड़ 18 लाख खर्च किये जायेंगें"।

राजस्थान राज्य में वर्तमान में 3232 मदरसे संचालित हैं। राज्य के अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अलख जगाने तथा मुख्य धारा में लाने हेतु इन मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मदरसे के स्त्रोत अत्यल्प होने के कारण इन मदरसों के आधारभूत हालात अत्यन्त चिन्ताजनक एवं दयनीय हैं। अतः ये मदरसे बच्चों को आधुनिक शिक्षा तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं।

2. राजस्थान सरकार की नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018–19 में 500 मदरसों का इस योजना हेतु चयन किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रदत्त स्टेट ग्रान्ट के तहत "ए" श्रेणी यथा संशोधित पंजीकृत मदरसों में से प्रत्येक जिले की संलग्न सूची में इंगित संख्या अनुसार उत्कृष्ठ मदरसों का चयन कर मदरसों को "आदर्श मदरसा" बनाया जायेगा।

3. **परिभाषाः–**

इस योजना में वर्णित निम्न शब्दो का अर्थ निम्नानुसार होगाः–

(I) बोर्ड का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड" जयपुर से है।

(II) अध्यक्ष का आशय "अध्यक्ष" राजस्थान मदरसा बोर्ड से हैं।

(III) राज्य सरकार का आशय " राजस्थान सरकार" से है।

(IV) मदरसे का आशय– राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में पंजीकृत "ए" श्रेणी के मदरसे से है।

(V) योजना का आशय "आदर्श मदरसा योजना" से है।

(VI) 'ए' श्रेणी के मदरसें से आशय, वे मदरसे, जिनकी भूमि, भवन पर "स्वत्व" प्राप्त (Title Clear) होने से है।

4. **उद्देश्यः–**

योजनान्तर्गत चयनित मदरसे को "आदर्श मदरसा" बनाए जाने हेतु निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित होंगीः–

(I) मदरसों के छात्र–छात्राओं को ई ज्ञान उपकरण (Device) द्वारा शिक्षा प्रदान कराना। (यह कार्य DOIT के माध्यम से कराया जाएगा)

(II) मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क गणवेश यथा जरसी, जूते आदि उपलब्ध कराना।

(III) विद्यार्थियों में खेल– कूद के प्रति रूचि उत्पन्न करने की दृष्टि से खेल–कूद किट यथा फुटबाल, केरम बोर्ड आदि वितरित करना।

(IV) मदरसों को ग्लोब, चार्ट, पुस्तके, मेथ्स किट व अन्य शिक्षण सामग्री वितरण करना।

(V) मदरसों को विद्यार्थियों के उपयोग हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(VI) अन्य वस्तुएं जो राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

ये सभी सामग्री बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगीं।

5. <u>मदरसों का चयन प्रक्रिया :–</u>

(I) सूची (जिलेवार):– योजना के अन्तर्गत मदरसा बोर्ड द्वारा 'ए' श्रेणी यथा संशोधित मदरसों की जिलेवार सूची तैयार की जायेगी।

(II) जिला स्तर पर 'ए'' श्रेणी यथा संशोधित मदरसों की सूची में से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभांवित होने वाले मदरसों का चयन किया जायेगा। जिला स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा :–

a)	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
b)	अतिरिक्त जिला कलक्टर, रेवेन्यु (ADM)	सदस्य
c)	उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग	सदस्य
d)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)	सदस्य
e)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

6. <u>योजना की मॉनिटरिंग:–</u>

योजना की मॉनिटरिंग निम्नांकित स्तर पर की जायेगी :–

(I) जिला स्तर– जिला स्तरीय कमेटी द्वारा योजना की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

(II) राज्य स्तर– राज्य स्तर पर सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा योजना का नियंत्रण किया जायेगा।

(III) थर्ड पार्टी इवेलुएशन– मदरसों के बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं मदरसों के कार्य स्थल का सम्पूर्ण मूल्याकंन हेतु प्रति दो वर्ष बोर्ड द्वारा थर्ड पार्टी इवेलुएशन कराया जायेगा।

(IV) इनवेन्टरी मेनेजमेंट सिस्टम – बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवायी गई वस्तु/सामग्रियों के प्रभावी उपयोग हेतु इनवेन्टरी मेनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया जायेगा।

7. दिशा–निर्देश से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, राज0 मदरसा बोर्ड जयपुर सक्षम होंगे।